अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा निर्देश

अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने पर निम्नलिखित निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा—

i. अभ्यर्थी प्रवेश पत्र की दो प्रतियों के साथ लेकर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होवे, प्रवेश पत्र की एक प्रति में पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न कर परीक्षा केन्द्र में उपस्थित होने पर जमा करना अनिवार्य है। दोनों प्रति मे अभ्यर्थी अपना वही फोटो चस्पा करें जो आवेदन पत्र में चस्पा किये है एवं निर्धारित स्थान पर वही हस्ताक्षर करें जो आवेदन पत्र में किये है ।

ii. प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रातः 09:00 बजे तक (Reporting Time) निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

iii. परीक्षा प्रातः 10:00 बजे से प्रारंभ होगी। किसी भी अभ्यर्थी को प्रातः 10:10 बजे के बाद परीक्षा केन्द्र/परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

iv. परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।

v. प्रत्येक अभ्यर्थी को अपनी पहचान प्रमाणित करने हेतु निम्नलिखित में से कोई एक मूल एवं वैध फोटोयुक्त पहचान–पत्र (Original Photo ID) साथ लाना अनिवार्य होगा: (i) आधार कार्ड; (ii) मतदाता परिचय–पत्र (Voter ID); (iii) ड्राइविंग लाइसेंस; (iv) पासपोर्ट; (v) पैन कार्ड; अथवा (vi) केन्द्र अथवा राज्य शासन अथवा किसी अन्य सक्षम शासकीय प्राधिकारी द्वारा जारी वैध फोटोयुक्त पहचान–पत्र।

vi. प्रवेश–पत्र अथवा मान्य मूल फोटोयुक्त पहचान–पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

vii. प्रवेश–पत्र जारी किया जाना अभ्यर्थी की अंतिम पात्रता अथवा चयन/मेरिट सूची में स्थान प्राप्त करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी निर्धारित पात्रता/शर्तों को पूरा नहीं करता है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत जानकारी/दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी तथा वह चयन/मेरिट सूची में सम्मिलित होने के लिए पात्र नहीं होगा।

viii. परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी अपने साथ केवल निम्नलिखित सामग्री ला सकता है: (i) नीले रंग का बॉल पेन; (ii) पानी की बोतल; (iii) प्रवेश–पत्र; तथा (iv) मूल फोटोयुक्त पहचान–पत्र। उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी अन्य सामग्री को परीक्षा कक्ष में लाने की अनुमति नहीं होगी।

ix. परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की पुस्तक, नोट्स, कागज, लिखित सामग्री, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक/संचार उपकरण को लेकर आना पूर्णतः प्रतिबंधित होगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को प्रवेश नही दिया जाएगा। परीक्षा केन्द्र पर मुल्यवान व इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओ को रखने की कोई व्यवस्था नही होगी, यदि कोई अभ्यर्थी इन वस्तुओ के साथ परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित होता है तो इसकी जवाबदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

x. परीक्षा पूर्व किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। इसके पश्चात् परीक्षा की शेष अवधि में भी किसी विशेष अथवा अपरिहार्य परिस्थिति में परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति केवल परीक्षा प्रभारी/भर्ती समिति की स्वीकृति से ही दी जा सकेगी।

xi. अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी अन्य अभ्यर्थी से बातचीत, संकेत, सामग्री का आदान-प्रदान अथवा किसी प्रकार की अनुचित सहायता प्राप्त करने या देने का प्रयास नहीं करेगा।

xii. अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र में शांति एवं अनुशासन बनाये रखेगा तथा परीक्षा प्रभारी/भर्ती समिति द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

xiii. परीक्षा के दौरान किसी अभ्यर्थी के पास प्रतिबंधित सामग्री अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पाया जाता है अथवा वह किसी अनुचित साधन (Unfair Means) का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध निर्धारित नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी तथा उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

xiv. सहायक ग्रेड-तीन पद हेतु कौशल परीक्षा कुल 250 अंकों की होगी, जिसमें 250 शब्द का हिन्दी एवं अंग्रेजी के गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट में कम्प्यूटर में टाईप करना होगा।

xv. कौशल परीक्षा उबंटू लिनिक्स (Ubuntu Linux) में लिब्रे ऑफिस (LibreOffice) में Unicode Font-(Lohit Devanagari, Mangal etc.) Font size-13, Paper Size-Legal, Margin Top-1.5 inch, left- 1.5 inch, right 1.0 inch, bottom 1.0 inch, Line Spacing-1.5 inch, Justify में ली जावेगी।

xvi. प्रत्येक छोड़े गये शब्द एवं टंकण की प्रत्येक शब्द की अशुद्धि/त्रुटि पर 01 (एक) अंक की कटौती की जाएगी । सेटिंग (यथा हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राम, अंडरलाईन, स्पेस आदि) को भी अशुद्धि/त्रुटि माना जायेगा ।

xvii. निर्धारित 10 मिनट की अवधि समाप्त होने के पश्चात् संबंधित भाषा के टंकित पाठ में किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा सुधार करने की अनुमति नहीं होगी । यदि कोई अभ्यर्थी 10 मिनट के पश्चात् टंकण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अथवा सुधार करता है, तो उसे परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा ।

xviii. कम्प्यूटर अथवा परीक्षा प्रणाली में किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में अभ्यर्थी स्वयं कोई परिवर्तन न करते हुए तत्काल कक्ष में उपस्थित अधिकृत कर्मचारी को सूचित करेगा । **अभ्यर्थी को स्वयं का की-बोर्ड लाने की अनुमति नही होगी ।**

xix. परीक्षा समाप्त होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा प्रभारी/अधिकृत कर्मचारी के निर्देशानुसार अपना टंकित कार्य प्रस्तुत/सुरक्षित करना होगा ।

xx. परीक्षा संबंधी किसी भी विषय में भर्ती समिति/परीक्षा प्रभारी द्वारा दिया गया वैध निर्देश अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

27/11/25

अध्यक्ष
भर्ती समिति,
कार्यालय-न्यायाधीश, परिवार न्यायालय
जिला-मुंगेली (छ.ग.)